संख्या– / XVIII(II)/2020–03(01)/2018

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

राजस्व अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांक 12 अक्टूबर, 2020**

विषयः– ग्राम सिंगटाली पट्टी दोगी उप तहसील पावकीदेवी, टिहरी गढ़वाल के ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या–12 व 15 में दर्ज खसरा संख्या–649 व 650 कुल रकवा 0.078 है0 उत्तराखण्ड सरकार की भूमि सुखाधिकार के अन्तर्गत सःशुल्क लीज पर आवंटित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–581 / XII– I–06 (2016–17), दिनांक 31 मार्च, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ग्राम सिंगटाली पट्टी दोगी, उप तहसील पावकीदेवी, जिला टिहरी गढ़वाल में डैरामैक्स डेवलपर्स प्रा0लि0, निदेशक, अर्जुन सिंह मेहरा निवासी लाजपत नगर, नई दिल्ली को ग्राम सिंगटाली के उत्तराखण्ड सरकार के ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या–12 में दर्ज खसरा नं0–649 रकवा 0.035 है0 तथा ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या–15 में दर्ज खसरा नं0–650 रकवा 0.043 है0, कुल–0.078 है0 भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 10(IV) रौली रोकड़ में दर्ज है, रास्ते के उपयोग हेतु सःशुल्क लीज पर आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम सिंगटाली के उत्तराखण्ड सरकार के ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या–12 में दर्ज खसरा नं0–649 रकवा 0.035 है0 तथा ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या–15 में दर्ज खसरा नं0–650 रकवा 0.043 है0 कुल–0.078 है0 भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 10(IV) रौली रोकड़ में दर्ज है, का नजराना एवं मालगुजारी वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर एकमुश्त जमा किये जाने पर शासनादेश सं0–258 / 16(1) / 73–राजस्व–1, दिनांक 09–05–1984 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या–1695 / 97–1–1(60) / 93–280–रा0–1, दिनांक–12–09–1997 तथा शासनादेश संख्या–496 / XVII(II) / 2020–08(63) / 2016 दिनांक 28 जुलाई, 2020 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय डैरामैक्स डेवलपर्स प्रा0लि0 को रास्ते के उपयोग हेतु निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन सःशुल्क लीज पर आवंटित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। जिलाधिकारी पहले इसे सुनिश्चित करेंगें। तद्नुसार वन विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही पट्टा निष्पादन की कार्यवाही करेंगे।

(2) प्रश्नगत नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 के समकक्ष सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) चूंकि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शासनादेश दि0–9.5.1984 के अधीन निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

....2

(4) इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी)संख्या– 3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है, परन्तु उक्त मार्ग का उपयोग सार्वजनिक हित में भी किया जायेगा। अन्य कोई निर्माण नहीं किया जायेगा।

(6) उक्त निवेशक/प्रतिष्ठान क्षेत्र में स्थापित होने से क्षेत्र में व्यापक जनहित निहित हो तथा क्षेत्र की आर्थिकी विकास निवेश की मात्रा एवं रोजगार सृजन आदि निहित हो।

(7) जिलाधिकारी सुनिश्चित करें कि शासनादेश संख्या–496/XVIII(II)/2020–08(63)/2016, दिनांक 28 जुलाई, 2020 में निहित मानक उक्त निवेशक द्वारा पूर्ण है।

(8) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा उक्त भूमि भार सहित राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।

(9) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85(24)–रा–6 दिनांक–09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षो के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नहीं होगा।

(10) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नही रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

(11) भू–उपयोगिता व पट्टे में इंगित शर्तों के कम में शासन/जिलाधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

(12) इकाई द्वारा शासनादेशानुसार नजराने एवं मालगुजारी की जमा करायी गई धनराशि की प्राप्ति रसीद/चालान की प्रति तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 12 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या–856/XVIII(II)/2020 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1— प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

2— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

3— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

4— डैरामैक्स डेवलपर्स प्रा0लि0, निदेशक, अर्जुन सिंह मेहरा निवासी लाजपत नगर, नई दिल्ली।

5— निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।

6— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।